



प्रेस नोट

थाना धाता पुलिस द्वारा मोबाइल टावर से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुये उनके कब्जे से विभिन्न टावरों से चोरी किये गये कुल 53 अदद मोबाइल टावर बैटरी व एक अदद देशी तमंचा 32 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 32 बोर व 02 अदद तमंचा देशी 12 बोर व 04 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर व चोरी की घटना में प्रयुक्त वाहन स्कार्पियो गाड़ी नं० UP70 ED 6070 व बोलेरो गाड़ी नं० UP70 DL 3778 को बरामद करते हुये छः नफर अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी।

दिनांक 07.09.2020 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय फतेहपुर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी खागा महोदय के निकट पर्यवेक्षण में अपराध की रोकथाम व अपराधियों पर अंकुश लगाने के क्रम में तथा मोबाइल टावर से चोरी हुई बैटरी के अनावरण के सम्बन्ध में अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु चलाये गये अभियान के तहत थाना स्थानीय पुलिस द्वारा अदौली नहर पुलिसिया पर मुखबिर खास की सूचना पर वाहन स्कार्पियो गाड़ी नं० UP70 ED 6070 व बोलेरो नं० UP70 DL 3778 से छः नफर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक अदद तमंचा 32 बोर व दो अदद तमंचा 12 बोर व 02. अदद जिंदा कारतूस 32 बोर व 04 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर तथा बोलेरो व स्कार्पियो गाड़ियों की तलाशी से इण्डस मोबाइल टावर के विभिन्न टावरों से चोरी की गई। जिसमें थाना धाता क्षेत्र के मु०अ०स० 151/19 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित 17 बैटरी व मु०अ०स० 09/2020 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित 16 बैटरी व जनपद कौशाम्बी के थाना सैनी के मु०अ०स० 382/2020 धारा 380 भादवि से सम्बन्धित कानेमई मोबाइल टावर से चोरी की गई 20 अदद बैटरी मिलाकर कुल 53 अदद चोरी की मोबाइल टावर बैटरी बरामद की गई। थाना स्थानीय के मुकदमों में 411/413 भादवि की बढ़ोत्तरी की गई व थाना सैनी के मुकदमों के सम्बन्ध में बरामदगी के आधार पर 41/411 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया व बरामदा तमंचा व कारतूस के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 135/20, 136/20, 137/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगणों को जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु 15000 रुपये के नगद पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई।

पंजीकृत अभियोग

1. मु०अ०स० 135/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धाता जनपद फतेहपुर।
2. मु०अ०स० 136/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धाता जनपद फतेहपुर।
3. मु०अ०स० 137/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धाता जनपद फतेहपुर।
4. मु०अ०स० 138/2020 धारा 41/411 भादवि सम्बन्धित थाना सैनी जनपद कौशाम्बी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता

1. अजीत सिंह उर्फ अंशू सिंह पुत्र रामशंकर निवासी सरसौली थाना धाता जनपद फतेहपुर।
2. आकाश सिंह उर्फ प्रिन्शू पुत्र गोवर्धन सिंह निवासी सरसौली थाना धाता जनपद फतेहपुर।
3. रत्नेश कुमार सिंह उर्फ बबुआ पुत्र रमेश सिंह निवासी सरसौली थाना धाता जनपद फतेहपुर।
4. लोकेन्द्र सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी कारीकान धाता जनपद फतेहपुर।
5. सूरज सिंह उर्फ अभय पुत्र मान सिंह निवासी गोढ़वापर कस्बा धाता थाना धाता जनपद फतेहपुर।
6. धर्मेन्द्र सोनकर उर्फ धम्मू पुत्र सूरजबली निवासी नरिहाई कस्बा धाता थाना धाता जनपद फतेहपुर।

बरामदगी

1. स्कार्पियो गाड़ी नं० UP70 ED 6070
2. बोलेरो नं० UP70 DL 3778 से
3. एक अदद तमंचा 32 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 32 बोर
4. दो अदद तमंचा 12 बोर व 04 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर
5. 53 अदद चोरी की मोबाइल टावरों की बैटरी

गिरफ्तारी व बरामदगी में शामिल पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह (थाना धाता फतेहपुर)
2. उ०नि० श्री शशिकान्त सरोज (थाना धाता फतेहपुर)
3. उ०नि० श्री तेजबहादुर यादव (थाना धाता फतेहपुर)
3. का० अखिलेश कुमार (थाना धाता फतेहपुर)
4. का० रामसूरत मौर्या (थाना धाता फतेहपुर)
5. का० आशीष कुमार पाल (थाना धाता फतेहपुर)
6. का० अजीत सिंह यादव (थाना धाता फतेहपुर)
7. का० दिलीप सरोज (थाना धाता फतेहपुर)
8. का० विनोद कुमार यादव (थाना धाता फतेहपुर)
9. का० श्याम सुन्दर (थाना धाता फतेहपुर)